



जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति व आर्थिक उत्थान में भागीदारी

डॉ० सुरजीत कौर¹

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग)
हर्ष विद्या मन्दिर पी०जी० कॉलेज रायसी(हरिद्वार)

डॉ० निशा पाल²

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग)
हर्ष विद्या मन्दिर पी०जी० कॉलेज रायसी(हरिद्वार)

आदिवासी समाजों में स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त भिन्न रही है। भारतीय जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष निकालना पर्याप्त कठिन कार्य है। विविध जनजातीय समूहों में इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। कालान्तर में सांस्कृतिक सम्पर्क की प्रक्रिया ने जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति को नकारात्मक रूप से पभावित किया है। लेकिन जनांकी की दृष्टि से भारतीय स्त्रियों के साथ आदिवासी स्त्रियों की तुलनात्मक विवेचना की जाये तो पर्याप्त भिन्नता परिलक्षित होती है। भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात विश्व में न्यूनतम है अर्थात् प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है जोकि विश्व में सबसे कम है लेकिन यदि भारत में आदिवासी जनसंख्या में स्त्री-पुरुष अनुपात दृष्टिगत किया जाये तो एक भिन्न प्रस्तुत होता है। आदिवासी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 990 है। बाद ही जनसंख्या सम्बन्धी जनगणनाओं में भी स्थिति इसी प्रकार दृष्टिगत होती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं उद्देश्य :-

जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति जैसी प्राचीन समय में थी वैसी अब वर्तमान समय में नहीं रह गई हैं जनजातीय महिलाओं की परिवर्तित स्थिति ही इस अध्ययन की आवश्यकता को दर्शाती है। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न है -

1. जनजातीय महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना।
2. जनजातीय महिलाओं के प्रति उनके परिवार के सदस्यों की प्रक्रिया।
3. आर्थिक गतिविधियों व गैर आर्थिक गतिविधियों में जनजातीय महिलाओं की भूमिका।
4. मुख्य कार्य की अपेक्षा जनजातीय महिलाओं की सीमान्त कार्यों में संलग्नता।
5. जनजातीय महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र (मजदूरी) में लिंग असमानता का सामना करना।

अध्ययन की सीमा — इस अध्ययन का विस्तार जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्थिति को जानने व जनजातीय समाज को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को जानने तक सीमित होगा।

अध्ययन पद्धति — प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है। इस प्रविधि के द्वारा जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति व आर्थिक उत्थान में उनकी भूमिका को जानने का प्रयास किया गया है।

तथ्य संकलन के श्रोत — प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन के प्राथमिक श्रोतों व द्वितीयक श्रोतों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के साथ उनका विश्लेषण किया जायेगा। द्वितीयक श्रोत वह साधन है जो जनजातियों पर आधारित संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी व गैर मूल जानकारी, जीवनी, प्रलेखों, डायरियों, ई-संसाधन, वेबसाइट पर आधारित होते हैं। प्राथमिक श्रोत व श्रोत हो है जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक सम्पर्क तथा आत्मसात्करण की प्रक्रिया ने जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप चाहे जनजातीय समाज में कितने ही सुधार क्यों न हुए हो, परन्तु जहाँ तक महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ हों, निम्न हिन्दू-पर्दा प्रथा, बालविवाह, दहेजप्रथा, छूआछूत आदि सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार पर सांस्कृतिक गृहण आर आत्मसात्करण की प्रक्रिया ने जनजातीय समाजों में महिलाओं की प्रस्थिति को पर्याप्त सीमा तक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

1. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार : सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार वर्तमान समय तक भी न्यूनाधिक मात्रा में परम्परागत रूप से निर्धारित होते हैं। जैसे पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों को ही रखरखाव एवं हस्तान्तरण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं तो मातृसत्तात्मक समाजों में स्थिति ठीक इसके विपरीत देखी जा सकती है, जहाँ सम्पत्ति का हस्तान्तरण मातृपक्ष अर्थात् माँ से

पुत्री को होता है। स्त्रियों का सम्पत्ति पर समान अधिकार सम्बन्धी कानून वर्तमान समय तक आदिवासी समाजों में अप्रभावित ही बना हुआ है।

2. सामाजिक संरचना : जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति का आंकलन करते समय उनकी सामाजिक संरचना का आंकलन करना आवश्यक प्रतीत होता है तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी उनके समूह में कहाँ तक है, उसी से उनकी सामाजिक प्रस्थिति का आभास हो सकता है।

विवाह :-

जनजातीय समाजों में आमतौर पर विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में कम तथा एक संविदा (समझौते) के रूप में अधिक है। जीवन साथी के चयन के तरीके तथा विवाह के स्वरूप उनकी प्रस्थिति के द्योतक के रूप में है। ये तरीके सर्वाधिक बर्बरता से लेकर पर्याप्त विकसित मानव समाजों के जीवन साथी के चयन के तरीकों तक साम्य रखते हैं। इसके साथ-साथ दहेज की प्रथा भी कुछ जनजातियों में स्थापित हो चुकी है। आदिवासियों में भी विधवा विवाह प्रतिबन्धित नहीं रहा है। विधवा विवाह का प्रायः सभी जनजातियों में परम्परागत रूप से मान्यता प्राप्त थीं जनजातियों में विवाह विच्छेद अधिक जटिलता लिए हुए न होकर पर्याप्त सरल रूप में पाया जाता है। तलाक के मामले में आमतौर पर स्त्री-पुरुष दोनों का समान अधिकार प्रभागत रूप से प्राप्त है।

जनजातीय समाजों में स्त्रियों पर अत्याचार :-

जहाँ एक ओर जनजातीय समाजों में स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति के उदाहरण हैं तो वहीं दूसरी ओर कतिपय जनजातियों में स्त्रियों के साथ मार-पीट तथा अन्य प्रकार की हिंसा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो अपने पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर पति के घर से भागकर अपने माता-पिता के पास वापस लौट जाती है।

आदिवासी स्त्रियां एवं उनकी परिवार व्यवस्था :-

परिवार का स्वरूप सर्वत्र ही स्त्रियों की स्थिति को न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित करता है। जनजातीय परिवारों को मोटे तौर पर तीन भागों केन्द्रित, संयुक्त तथा विस्तृत परिवारों में बाँटा जा

सकता है। जैसे हो जनजाति में एकाकी परिवार और खड़िया जनजाति में विस्तृत परिवार पाये जाते हैं।

जनजातीय घोटुल—

घोटुल भारत में अनेक जनजातियों समूहों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में अस्तित्व में रहे हैं तथा मनोरंजन, संस्कृति, संरक्षण, सुरक्षा के साथ-साथ अनेक प्रकार्यों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। घोटुल संस्था में स्त्रियों को सम्मान दिया है, उन्हें संगठित होने के लिए एक मंच प्रदान किया है। वर्तमान में यह संस्था धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है जिसका जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राजनीतिक क्षेत्र—

इसमें भी आदिवासी स्त्रियाँ परम्परागत रूप से भागदारी निभाती रही हैं कुछ जनजातियों में स्त्रियाँ पंचायत में पुरुषों के समकक्ष भागीदार रही हैं। वे स्वतन्त्र रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती थी व अपनी राय देती थीं। लेकिन इस क्षेत्र में अधिपत्य पुरुषों का ही रहा है स्त्रियाँ इस क्षेत्र में गौण मानी गयी है। क्योंकि राजनीतिक मामले पेचीदे होते हैं।

धार्मिक क्षेत्र—

आदिवासी समाजों में धार्मिक क्षेत्र में कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न रही है। जैसा कि हिन्दू समाज में देखने को मिलता है। आदिम समाजों में भी पुरोहिताई का पद पुरुषों तक ही सीमित तथा नियन्त्रित है। धार्मिक कृत्यों में स्त्रियों की श्रेष्ठता अथवा समान भागीदारी के उदाहरण तो नाममात्र की ही है। कुल मिलाकर आदिम समाजों में भी धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व विद्यमान दिखाई देता है।

जनजातीय समाज में स्त्रियाँ की आर्थिक जीवन में भागदारी—

जनजातीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्राप्त अध्ययनों में महिलाओं व पुरुषों के मध्य श्रम-विभाजन को ही प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। वास्तव में जनजातीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से प्रकृति केन्द्रित रही है। उत्पादन सम्बन्धी समस्त प्रकार्य, नातेदारी व्यवस्था, गोत्र, भातृ-समूहों अथवा परिवारों के मध्य सम्बन्धों द्वारा शासित एवं निर्धारित होते हैं।

भारत में जनजातीय समाजों की अर्थव्यवस्था एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में एक सामान्यीकरण धारण हमें किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकती। जनजातियों में गरीबी एवं कठिनाईयाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है लेकिन स्त्रियाँ-पुरुषों के मध्य भेद-भाव उस सीमा तक कहीं नहीं पाया जा सकता जिसके उदाहरण निम्न सोपानों की हिन्दू जातियों में देखने को मिलते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जनजातीय महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण करती हैं। यहाँ पर कतिपय जनजातीय समाजों में महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भूमिका का उल्लेख इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास है कि किस प्रकार महिलाएं आर्थिक उत्थान में भागीदार हैं।

हिमाचल प्रदेश में रहने वाली 'गुर्जर' जनजाति की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कठोर परिश्रम करती हैं परिवार के भरण-पोषण के लिए दोहरी भूमिका का निर्वहण करती हैं। भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में रहने वाली 'टोडा' जनजाति की स्त्रियाँ उनके समाज में आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान मानी जाती हैं। वे चौबीसों घंटे घरेलू कार्यों में व्यस्त दिखाई देती हैं। 'हो' जनजाति में पुरुष अपने आलस्य के लिए प्रसिद्ध हैं तथा स्त्रियों पर ही जीवन यापन के लिए आश्रित हैं। 'शवासी' जनजाति में भी महिलाएं व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जबकि आमतौर पर इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहता है।

ट्राइबल वॉमन इन इण्डिया में प्रकाशित विमल कुमार ने अपने लेख ट्राइबल वॉमन इन नार्थ ईस्टर्न इण्डिया में मणिपुर तथा मेघालय की आदिवासी स्त्रियों के आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मणिपुर की आदिवासी महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में ऐसी भूमिका निभाती हैं जिसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। उन्होंने इम्फाल के इम्मा मार्केट का उदाहरण प्रस्तुत किया है जहाँ व्यापार के क्षेत्र में लगभग 99 प्रतिशत स्त्रियाँ व्यस्त दिखाई देती हैं। पुरुष तो कभी-कभार इक्के-दुक्के ही दृष्टिगोचर होते हैं। मेघालय में सामान सिर पर रखकर बेचने का कार्य भी स्त्रियाँ करती हैं। अरुणाचल की आदिवासी स्त्रियाँ भी मीलों दूर तक की यात्रा करते हुए पहाड़ी कठिन रास्तों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के विनियम में संलग्न दिखाई देती हैं।

इस प्रकार अनेक जनजातियों समाजों में स्त्रियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की प्राचीन परम्परा को वर्तमान समय तक अस्तित्व में रखा है। आर्थिक जनजातीय

सम्बन्धित प्राप्त अध्ययनों में महिलाओं व पुरुषों के मध्य श्रम विभाजन को ही वर्णित किया गया है। वास्तव में जनजातीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से प्रकृति केन्द्रित रही है।

निष्कर्ष :-

वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में सुधार की अपेक्षा गिरावट आई है लिंग अनुपात में भी अब गिरावट देखी जा सकती है। स्त्री-पुरुष समानता के आदर्शों में कमी आयी है। व्यावसायिक क्षेत्र में स्त्रियों के शोषण की प्रक्रिया बढ़ी है। आर्थिक विकास की चाहे कोई भी अवस्था हो, जनजातीय स्त्रियाँ वर्तमान समय तक एक 'लेबर मशीन' की भांति अपना योगदान परिवार की अर्थव्यवस्था में देती आई है। यह योगदान आन्तरिक तौर पर ही सीमित नहीं है अपितु बाहरी घरेलू आर्थिक मामलों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मातृसत्तात्मक समाजों में तो उत्तराधिकार एवं पदाधिकार सम्बन्धी नियम स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करते हैं। इस बार को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जनजातीय स्त्रियाँ आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मजूमदार, रेसेज एण्ड कल्चर्स इन इण्डिया 1921
2. मजूमदार तथा मदान, एन इन्द्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी।
3. के.एम.कपाड़िया, भारतवर्ष में विवाह तथा परिवार 1962
4. योगेश अटल, आदिवासी भारत, 1965
5. जी.एस.छुरिये, दि सिड्यूल्ड ट्राइब्स, 1957
6. Asia Publishing House, Bombay 1961
7. मोतीलाल, बमारसीदास पब्लिशर्स 2000